संख्या-53/2025/001-697-2025-1741675-12-2099-1-2023

प्रेषक,

गुन्जन दुबे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक: 23 जून, 2025**

विषय:- आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्राविधानित धनराशि रू 5000.00 लाख के सापेक्ष रू 4725.00 लाख की स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या:दलहन/170/आ0नि0कृ0स0/वि0स्वी0/ 2025-26 दिनांक 30 मई, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया अत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजनान्तर्गत के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-05-आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रूपये 5000.00 लाख के सापेक्ष मानक मद 42-अन्य व्यय में धनराशि रूपये 4725.00 लाख (रूपया सैंतालिस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाईन्स/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मद में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।
5. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।
6. कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य0 सरकार या अन्य किसी स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. कृषि निदेशक स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

10. कृषि निदेशक सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लेंगे। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

11. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।

12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13. आत्मर निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

15. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

16. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्य्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 47,25,00,000 (रुपये सैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090500 आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

संख्या-53/2025/001-697(1)-2025-1741675-12-2099-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ/संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।